न्यायालय जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

(1) राजस्व अपील सं0 172/2019

रामधन पुत्र कालूराम मीना जाति मीना निवासी गणेशपुरा रोड, दौसा जिला दौसा

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक, दौसा

...रेस्पों0

(2) राजस्व अपील सं0 173/2019

राजेश सैनी पुत्र श्री नारायण सैनी जाति माली निवासी गणेशपुरा रोड, दौसा जिला दौसा राज0

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक, दौसा

...रेस्पों0

(3) राजस्व अपील सं0 174/2019

कैलाश प्रसाद मीना पुत्र जयनारायण मीना जाति मीना निवासी गणेशपुरा रोड, दौसा जिला दौसा राज0

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक, दौसा

...रेस्पों0

(4) राजस्व अपील सं0 175/2019

कन्हैयालाल पुत्र मूलचन्द भाण्ड जाति भाण्ड निवासी गणेशपुरा रोड, दौसा जिला दौसा राज0

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक, दौसा

...रेस्पों0

(5) राजस्व अपील सं0 176/2019

जितेन्द्र कुमार योगी पुत्र सीताराम योगी जाति योग निवासी गणेशपुरा रोड, दौसा जिला दौसा राज0

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक, दौसा

...रेस्पों0

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक वन संरक्षक दौसा दिनांक [illegible] 2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामधन, सरकार बनाम राजेश, सरकार बनाम कै[illegible] सरकार बनाम कन्हैयालाल, सरकार बनाम जितेन्द्र जो सहायक वन संरक्षक [illegible] के विरूद्ध प्रकरण सं0 13/2016 से 15/2016 व 17/2016 से 18/2016 में पारित किये गये है।

उपस्थितः–1. श्री योगेश जाकड, अधिवक्ता अपीलांट्स [illegible] ओर से।

2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर दौसा

निर्णय

दिनांक 04.03.2026

1. उक्त सभी अपीलों के तथ्य एवं विषयवस्तु लगभग एक समान है। अतः इन सभी अपीलों का निस्तारण एकल निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।
2. उक्त सभी अपीलों में अपीलांट्स के द्वारा सहायक वन संरक्षक दौसा दिनांक 10.6.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामधन, सरकार बनाम राजेश, सरकार बनाम कैलाश, सरकार बनाम कन्हैयालाल, सरकार बनाम जितेन्द्र जो सहायक वन संरक्षक दौसा के द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध प्रकरण सं0 13/2016 से 15/2016 व 17/2016 से 18/2016 में पारित किये गये है, से व्यथित होकर उक्त निर्णयों को निरस्त करने हेतु यह अपीलें प्रस्तुत की गई है।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी दौसा ने न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा के यहां एक इस्तगासा इस आशय का पेश किया कि अपीलांट्स ने वनखण्ड डूंगरी मौजा ग्राम दौसा खुर्द खसरा नम्बर 724 वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से पुख्ता निर्माण कर कब्जा कर रखा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10–6–2019 के द्वारा अपीलांट को भूमि खसरा नम्बर 724 वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने का दोष्ज्ञी मानते हुए रा.भू. रा. अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत वन भूमि खसरा नम्बर 724 मे से बेदख करने एवम 500 /– रूपये शास्ती आरोपित करने का निर्णय पारित फरमा दिया जिसके विरूद्ध यह अपीलें निम्नांकित आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है।निर्णय अधिनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा विधि विरुद्ध एवम तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है । यह कि अधिनस्थ वन संरक्षक दौसा ने अपीलांट को बिना समुचित सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नही दिया गया। यधपि अपीलांट सहायक वन संरक्षक दौसा के समक्ष उपस्थित जरूर हुआ था व अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट का वन भूमि खसरा नम्बर 724 पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है बल्कि अपीलांट सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 96 वाके ग्राम गणेशपुरा पर काबिज है जिसके संदर्भ में तहसीलदार द्वारा खसरा नम्बर 96 में अपीलांट का कब्जा होने के संबंध में धारा 91 एल आर एक्ट मे नोटिस दिया जो इस बात का प्रमाण है कि अपीलांट का वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने अपीलांट का वन क्षेत्र पर कब्जा या अतिक्रमण होने की जो रिपोर्ट आपके न्यायालय को की है वह आधारहीन व बिना नाप जोख के की है। क्षेत्रीय वन अधिकारी के अनुसार अपीलांट का कब्जा खसरा नम्बर 724 की भूमि पर बतलाकर रिपोर्ट पेश की है जबकि अपीलांट का निवास खसरा नम्बर 724 मे न होकर ग्राम गणेशपुरा के खसरा नम्बर 96 में आता है जिस स्थान पर प्रार्थी अपीलांट परिवार सहित घर बनाकर निवास कर रहा है वन भूमि वन भूमि की न होकर सिवायचक भूमि है जिस हेतु अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका कमिश्नर एवम सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया किन्तु कोई कार्यवाही नही कर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने सरासर अवैधानिक रूप से निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। जिस स्थान पर अपीलांट का निवास स्थान है वह खसरा नम्बर 72[illegible] होकर खसरा नम्बर 96 मे आता है इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अपीलांट को [illegible] तहसीलदार दौसा ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 [illegible] कुशल पटवारी गिरदावर से नाप जोख करवाकर दिनांक 10–8–2007 को व अन्य दिनांक को उक्त भूमि को सिवायचक मानते हुए अपीलांट को नोटिस दिया था जिसका अपील[illegible] ने जवाब पेश किया तथा प्रशासन के द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि उक्त स्थान पर रह रहे अपीलांट व अन्य बेसहारा बेघर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गरीब लोगो को शीघ्र ही पट्टे देने की कार्यवाही भी की जायेगी इस पर अलांट के विरूद्ध की गई धारा 91 की कार्यवाही को तहसलदार जी ने स्थगित किया था । इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांट का निवास खसरा नम्बर 724 मे न होकर खसरा नम्बर 96 मे आता है जहां पर वन विभाग का कोई लेना देना या हस्ताक्षेप नही है तथा अपीलांट उक्त स्थान पर लम्बे समय से घर बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नही हुई क्षेत्रीय वन अधिकारी से अपीलांट को जिरह का मौका भी नही दिया बिना रिपोर्ट प्रदर्श हुए ही रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्रहण ही नही किया जा सकता। इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया कि अपीलांट का निवास खसरा नम्बर 96 में आता है और खसरा नम्बर 96 रिकॉर्ड के अनुसार जमाबंदी मे गै०मु० पाल के रूप में दर्ज है जो किसी भी रूप से वन विभाग की भूमि नही हो सकती है यदि अधिनस्थ न्यायालय चाहे तो उक्त स्थान की नाप पुनः अधिनस्थ न्यायालय के निर्देशन व तहसीलदार जी दौसा के निर्देश में कुशल पटवारी गिरदावर से करवा सकते है जिससे कि सारी वस्तु स्थिति सामने आ जायेगी। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यो को नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट को योग्य अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड में अपीलांट का निर्माण अवैधानिक रूप से वन भूमि खसरा नम्बर 724 में बताकर बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसी सूरत में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट उपस्थित होकर निवेदन करता रहा कि खसरा नम्बर 724 व खसरा नम्बर 96 का सीमाज्ञान किया जाकर नाप जोक कराई जावे जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने मौखिक आश्वासन दिया कि नाप कराकर निर्णय करेंगे जिसकी सूचना अपीलांट को दी दी जावेगी किन्तु इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सूचना दिये व बिना कोई नोप जोक किये अपीलांट के पीठ पीछे दिनांक 10–6–19 को निर्णय कर दिया जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 5–7–19 को होने पर नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 9–7–19 को प्राप्त होने पर जानकारी से अविलम्ब अंदर मियाद अपील पेश की जा रही है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा दिनांक 10–06–2019 निरस्त करने की कृपा करें।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अतिक्रमियों के द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत है। अपीलांट्स के द्वारा वन विभाग की भूमि पर अतिचार किया गया है। अपीलांट्स को सहायक वन संरक्षक द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 172/2019, 173/2019, 174/2019, 175/2019 एवं 176/2019 अपीलार्थीगण द्वारा सहायक वन संरक्षक, दौसा के निर्णय दिनांक 10.06.2019 (प्रकरण संख्या 13/16, 14/16, 15/16, 16/16 एवं 17/16) के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसके अर्न्तगत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अपीलार्थीगण को ग्राम दौसा खुर्द, तहसील दौसा, जिला दौसा में स्थित खसरा संख्या 724 की वन भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया था। चूंकि समस्त अपीलें एक ही निर्णय से

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उत्पन्न हैं तथा एक ही भूमि (खसरा संख्या 724) से संबंधित हैं, अतः इन सभी अपीलों का निस्तारण इस एक संयुक्त निर्णय द्वारा किया जा रहा है।प्रत्यर्थी वन विभाग (क्षेत्रीय वन अधिकारी, दौसा) द्वारा वर्ष 2016 में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 13/16, 14/16, 15/16, 17/16 एवं 18/16 प्रस्ततु कियेगये, जिनमें अपीलार्थीगण को ग्राम दौसा खुर्द के खसरा संख्या 724 की वन भूमि से बेदखल करने की प्रार्थना की गई।

7. वन विभाग का कथन है कि:

(क) खसरा संख्या 724, ग्राम दौसा खुर्द की भूमि राजपत्र अधिसूचना संख्या श्र.7;332, टॅ. 68 दिनांक 22.11.1969 द्वारा आरक्षित/रक्षित वन के रूप में अधिसूचित है तथा वन विभाग के अधीन है।

(ख) अपीलार्थीगण ने उक्त वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कच्चे–पक्के कमरे, चारदीवारी आदि का निर्माण किया तथा कुछ भूमि में कृषि कार्य भी किया।

(ग) दिनांक 11.07.2016 को मौका पंचनामा किया गया जिसमें पंचों एवं गवाहों (श्री गोपाल लाल शर्मा वा.र.ट., रामजी एवं अन्य) की उपस्थिति में अतिक्रमण की पुष्टि की गई। अतिक्रमण लगभग 10 वर्ष पुराना पाया गया।

(घ) नजरी नक्शा (दिनांक 11.07.2016) में स्पष्ट रूप से अतिक्रमण का क्षेत्र, निर्माण एवं कृषि कार्य दर्शाया गया है। नक्शे में जितेन्द्र जोगी का कब्जा दक्षिण दिशा में भी अंकित है।

(ङ) सहायक वन संरक्षक, दौसा ने दिनांक 10.06.2019 को समस्त प्रकरणों (13/16, 14/16, 15/16, 17/16, 18/16) में निर्णय देकर अपीलार्थीगण को वन भूमि से बेदखल करने तथा नियम 10 के अंतर्गत रुपये 500/– का अर्थण्दण्ड अधिरोपित करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत राजस्व अपीलें दायर की हैं।

8. अपीलाथीगण के तर्क:

(अ). उनका कब्जा वर्षों पुराना है एवं उन्होंने वहां आवासीय निर्माण कर निवास किया है।

(ब). विवादित भूमि वन भूमि नहीं है अपितु राजस्व विभाग की भूमि है तथा वन विभाग को बेदखली का अधिकार नहीं है।

(स). सहायक वन संरक्षक का आदेश दिनांक 10.06.2019 विधि विरुद्ध एवं मनमाना है।

(द). उन्हें बेदखली से पूर्व पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।

(य). धारा 91 के अर्न्तगत कार्यवाही की शर्तें पूरी नहीं की गई हैं।

9. प्रत्यर्थी वन विभाग का तर्क है कि:

(अ). खसरा संख्या 724, ग्राम दौसा खुर्द की भूमि राजपत्र अधिसूचना श्र.7;332द्ध टॅ. 68 दिनांक 22.11.1969 के अन्तर्गत सुस्पष्ट रूप से वन भूमि घोषित है।

(ब). मौका पंचनामा दिनांक 11.07.2016, नजरी नक्शा, पटवारी एवं कानूनगो की रिपोटों से अतिक्रमण सिद्ध है।

(स). अपीलार्थीगण के पास भूमि पर [illegible] अधिकार नहीं है।

(द). वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा विधि विरूद्ध [illegible] धारा 91 के अन्तर्गत बेदखली पूर्णत विधिसम्मत है।

(य). अपीलार्थीगण को नोदटस दी गई [illegible] णप्त अवसर ददया गया।

10. इस बिन्दु पर पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं अभिलेखों [illegible] सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया। पत्रावली में राजपत्र अधिसूचना संख्या **F-7(332)R-W-** 68 दिनांक 22.11.1969 की प्रति उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:44 IST
Reason: SelfAttested

Dv
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है, जिसके अनुसार खसरा संख्या 724, ग्राम दौसा खुर्द की भूमि को आरक्षित/रक्षित वन के रूप में विधिवत अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना सन 1969 से प्रभावी है अर्थात लगभग 56 वर्षों से उक्त भूमि वन विभाग के अधीन है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय ने दिनांक 30.03.2022 के पत्र (डी.एम./कोर्ट/2022/619– 623) द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) दौसा को सीमांकन हेतु निर्देशित किया था। दिनांक 07.07.2025 को सीमांकन टीम (जिसमें वनपाल, वन विभाग स्टाफ, पटवारी एवं अन्य अधिकारी सम्मिलित थे) ने मौके पर जाकर सीमांकन किया। दिनांक 07.07.2025 की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि साबिक (पुराना) खसरा संख्या 724 एवं वर्तमान खसरा संख्या 17/16 की भूमि निर्विवाद रूप से वन भूमि है तथा वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है। अपीलार्थीगण इस बिन्दु पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य या अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त भूमि राजस्व भूमि है। अतः निष्कर्ष यह है कि खसरा संख्या 724, ग्राम दौसा खुर्द की भूमि सुस्पष्ट रूप से अधिसूचित वन भूमि है।

11. पत्रावली में उपलब्ध मौका पंचनामा दिनांक 11.07.2016, जो पंचों (श्री गोपाल लाल शर्मा, रामजी एवं सुदेर) की उपस्थिति में तैयार किया गया, से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने खसरा संख्या 724 की वन भूमि पर 5–6 कच्चे–पक्के कमरे एवं चारदीवारी का निर्माण किया तथा खेती की है। पंचनामे में अतिक्रमण लगभग 10 वर्ष पुराना बताया गया है। नजरी नक्शा दिनांक 11.07.2016 में भी अतिक्रमण का क्षेत्र, निर्माण एवं कृषि कार्य स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। अपीलार्थीगण ने उक्त भूमि पर अपने कब्जे का कोई वैध विधिक आधार (जैसे पट्टा, आवंटन पत्र, राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होना आदि) इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गोदावर्मन तिरूमलपाद बनाम भारत संघ (1997) **2 SCC** 267 में स्पष्ट किया है कि वन भूमि का संरक्षण एक संवैधानिक दायित्व है तथा वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत अतिकमण अस्वीकार्य है। इसी प्रकार जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) **11 SCC 396** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सरकारी/वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जे से कोई अधिकार अर्जित नहीं होता, चाहे कब्जा कितने भी लम्बे समय से हो। अतः अपीलार्थीगण का खसरा संख्या 724 की वन भूमि पर कब्जा पूर्णतः अनाधिकृत एवं अवैध है।

12. साथ ही प्रस्तुत प्रकरण में:

(क). भूमि अधिसूचित वन भूमि है (अधिसूचना दिनांक 22.11.1969 से)।
(ख). अपीलार्थीगण के पास कब्जे का कोई वैध विधिक आधार नहीं है।
(ग). मौका पंचनामा एवं नजरी नक्शा से अतिकमण सिद्ध है।
(घ). सहायक वन संरक्षक सक्षम प्राधिकारी है।

अपीलार्थीगण का यह तर्क कि उन्हें पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, निराधार है क्योंकि पत्रावली में नोटिस तामील होने के साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा प्रकरण वर्ष 2016 से 2019 तक विचाराधीन रहा जिसमें पर्याप्त समय दिया गया। अतः बेदखली का आदेश पूणतः विधिसम्मत एवं उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:44 IST
Reason: SelfAttested.

आदेश **Operative Part**

Dv

जिला कलेक्टर,दौसा

उपरोक्त विस्ततृ विवेचना, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, अभिलेखों, राजपत्र अधिसूचना, मौका पंचनामा, नजरी नक्शा, सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 07.07.2025, पटवारी एवं कानूनगो की रिपोर्टों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों के आलोक में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है:

1. समस्त राजस्व अपीलें संख्या 172/2019, 173/2019, 174/2019, 175/2019 एवं 176/2019 खारिज (**DISMISSED**) की जाती हैं। अपीलार्थीगण अपनी–अपनी अपीलों में किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये गये।

2. सहायक वन संरक्षक, दौसा का बेदखली निर्णय दिनांक 10.06.2019 (प्रकरण संख्या 13/16, 14/16, 15/16, 17/16 एवं 18/16) पूर्णतः यथावत बनाये रखा जाता है। (**CONFIRMED**)। उक्त निर्णय में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाई गई।

3. पक्षकार अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

4. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति समस्त पक्षकारों, सहायक वन संरक्षक दौसा, क्षेत्रीय वन अधिकारी दौसा, तहसीलदार (भू.अ.) दौसा तथा संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित पटवारी को नियमानुसार उपलब्ध करायी जाए।

5. . अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। मूल निर्णय राजस्व अपील सं0 172/2019 में रखा जावे एवं शेष राजस्व अपील सं0 173/2019 से 176/2019 में इस निर्णय की छाया प्रति रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04 मार्च, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवंन्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:44 IST
Reason: SelfAttested